

आज दिनांक 28.08.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

थाना महुली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी महुली ***श्री बृजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0 205/2023 धारा 363 / 366 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामले मे वाँछित अभियुक्त नाम पता आनन्द कुमार पुत्र जयराम निवासी कोदवट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को कटार मिश्र कुआनो पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.05.2023 को वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 27.05.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 28.08.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 लालजी गौड़ ।

***फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 03 नफर वारण्टी**

अभियुक्त गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत **03** नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता महताब आलम पुत्र नवाब अली निवासी मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री कृष्ण मोहन राव, कां0 अरविन्द कुमार तिवारी, कां0 पंकज विश्वकर्मा।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता उमेश साहनी पुत्र रामसेवक निवासी रुईहवा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार, हे0कां0 अमित सिंह, कां0 बृजेश सिंह।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता सूरज सिंह पुत्र आजाद सिंह निवासी सिंहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार, कां0 बालगोविन्द गौड़, कां0 प्रवेश यादव।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1487 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल— पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत कर्माखान से इवेंट संख्या 00196 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 01 व्यक्ति (मिथुन कुमार पुत्र अलीजान निवासी कर्माखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल व्यक्ति को इलाज हेतु निजी वाहन से सीएचसी सेमरियावां भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 असगर अली, आ0 राहुल मौर्य, हो0चा0 उमेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 67 वाहनों से 59,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया
आज दिनांक 28.08.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 67 वाहनों से 59,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया।